<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 173/2019 **दायर दिनांक :—02.12.2019**

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
2. रामचन्द्र पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
3. रूघनाथ पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
4. लालचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
5. गंगाबाई पुत्री बिरधीलाल जाति मोग्या
6. मांगीबाई पत्नी बिरधीलाल जाति मोग्या निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी मोठपुर जिला बारां।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थितिः—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 13/02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट0 का वाद इस आश्य का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 290 की ख0नं0 2262/2559 रकबा 0.49 है0 आराजी वादीगण के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर इस वर्ष 2019 में जबरन दादागिरी की दम पर कब्जा कर लिया। इस बाबत वादीगण ने दिनांक 25.10.19 को मना किया तो प्रतिवादी लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ तथा जान से मारने की धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट भी वादीगण ने थाना मोठपुर में दर्ज करवाई थी। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी का बेदखल कर वादीगण को कब्जा नहीं संभलाया गया तो वादीगण को अपने खाते की आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद

में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अस्तु वादीगण प्रतिवादी को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद गारण दिनांक 25.10.19 को अन्तिम बाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कब्जा छोडने का निवेदन करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। वादीगण ग्राम मोठपुर तहसील अटरू एवं विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सम्भलाया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दोरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 290 की ख0नं0 2262 / 2559 रकबा 0.49 है0 आराजी वादीगण के दर्ज खाता स्थित है जो वादीगण के पिता बिरधीलाल पुत्र गिरधारी लाल मोग्या को आंवटन होकर पहले गैर खातेदारी एवं तदुपरान्त खातेदारी दर्ज हुई थी। विवादित आराजी पर वादीगण का तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा था परन्तु वर्ष 2019 में प्रतिवादी द्वारा जबरन दादागिरी के दम पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर उनहे अपने कानूनी हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अतः उक्त ट्रेसपासर / प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मोठपुर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 290 का ख0नं0 2262 / 2559 का

रकबा 0.49 है0 आराजी वादीगण के खाते दर्ज हैं अर्थात वादीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है। वादी द्वारा पेश नकल आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1975, नकल लगान पर्चा, नकल दखलनामा रिपोर्ट एवं भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता बिरधीलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मोगया को आंवटन होकर गैर खातेदारी एवं तदूपरान्त खातेदारी दर्ज हुई है। वर्तमान में भी वादीगण अभिलिखित खातेदार कृषक है और किसी रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट की भूमि पर बिना विधिक प्राधिकार के अवैध कब्जा करने वाले को धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन एक ट्रेसपासर माना जावेगा। प्रतिवादी के द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं किये जाने और विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा कब व किस आधार पर कब्जा लिया है।

5. उक्त प्रकरण को निर्धारित करने से पूर्व धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं–

Sec. 183– Ejectment of certain trespasser- (1)- Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section (2) on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part wherof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा/साक्ष्य पेश नही किये जाने के आधार पर वादीगण/रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट की ग्राम मोठपुर स्थित आराजी खाता संख्या 290 का ख0नं0 2262/2559 का रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा होना साबित होता है। अतः प्रतिवादी धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन ट्रेसपासर होने के कारण बेदखली हेतु उत्तरदायी है। अतः वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी 290 का ख0नं0 2262/2559 का रकबा 0.49 है0 भूमि से प्रतिवादी– मांगीलाल पुत्र नारायण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 173/2019 **दायर दिनांक :—02.12.2019**

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
2. रामचन्द्र पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
3. रूघनाथ पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
4. लालचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति मोग्या
5. गंगाबाई पुत्री बिरधीलाल जाति मोग्या
6. मांगीबाई पत्नी बिरधीलाल जाति मोग्या निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी मोठपुर जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी 290 का ख0नं0 2262/2559 का रकबा 0.49 है0 भूमि से प्रतिवादी— मांगीलाल पुत्र नारायण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनामा
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)